कानपुर नगर निगम

दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक

का कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/95/सचिव (न0नि0)/2018–19 दिनांक :– 23-07-2018

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती.............................

पार्षद वार्ड सं0.........../सदस्य कार्यकारणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 09.07.2018 दिन सोमवार को आहूत बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 04 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–09.07.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में आहूत कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :–

<u>उपस्थिति</u>

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
2. श्री नवीन पण्डित	पार्षद / उप सभापति
3. श्री महेन्द्र पाण्डये 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य
4. श्री मो0 अमीम	पार्षद / सदस्य
5. श्री जयप्रकाश पाल	पार्षद / सदस्य
6. श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
7. श्री संतोष साहू	पार्षद / सदस्य
8. श्री विजय यादव	पार्षद / सदस्य
9. श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य
10. श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य
11. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
12. श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य
13. श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य

<u>अधिकारीगण</u>

1. श्री संतोष कुमार शर्मा	नगर आयुक्त
2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4. श्री रमेश चन्द्र निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
6. श्री ए0के0सिंह	प्रभारी मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
7. डॉ0 पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
8. डॉ0 अमित सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी 'चि0'
9. डॉ0 ए0के0सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
10. श्री आर0के0पाल	पर्यावरण अभियन्ता

सर्वप्रथम सभापति ने नवागन्तुक नगर आयुक्त का कार्यकारिणी सदस्यों से परिचय कराते हुये कानपुर नगर निगम में नये पदस्थ हुये अधिकारियों से कार्यकारिणी सदस्यों को अपना–अपना परिचय देने हेतु निर्देशित किया, जिस पर सभी नवागन्तुक अधिकारियों ने अपना–अपना परिचय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को दिया। तद्उपरान्त सभापति ने नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 सभापति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। बैठक में आये हुये सभी कार्यकारिणी सदस्यों का हम स्वागत करते है। एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये नगर आयुक्त ने एजेण्डा के प्रस्ताव सं0–01 से समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुये उस पर अपना–अपना विचार रखने हेतु कहा।

ह0...........महापौर

प्रस्ताव संख्या–50

नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 27.03.18 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्तुत है :–

माननीय कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 30.03.2017 के प्रस्ताव कमांक संख्या 6 को पारित करते हुए खेल नीति के आधार पर अनुबन्ध करने का निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

नगर निगम के कीडा विभाग की आय बढ़ाने एवं शहर में उच्च स्तरीय किकेट प्रशिक्षण व्यवस्था को पालिका स्टेडियम पर राष्ट्रीय स्तर किकेट खिलाड़ियों एवं समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय किकेट खिलाड़ियों से किकेट का प्रशिक्षण दिलाकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम/शर्तो के अधीन एक वर्ष के लिये श्री शशिकान्त खाण्डेकर 11/218, सूटरगंज, कानपुर से अनुबन्ध किये जाने हेतु कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है:–

1. प्राधिकारी (प्रथम पक्ष नगर निगम कानपुर) द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क आर्य नगर, कानपुर में किकेट नर्सरी को सुचार रूप से चलाने (संचालन) एवं प्रबन्धन तथा क्रिकेट की कोचिंग के लिये द्वितीय पक्ष की सेवायें प्राप्त करेगे।
2. कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा किन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महीने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
3. द्वितीय पक्ष (श्री शशिकान्त खाण्डेकर) पालिका स्टेडियम पर किकेट नर्सरी के नाम से शर्तो के अधीन किकेट नर्सरी चलायेगें। किकेट नर्सरी में बच्चों को केवल क्रिकेट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, एन0आई0एस0 , बी0सी0सी0आई0 से प्रशिक्षित क्रिकेट प्रशिक्षकों व प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम बृजेन्द्र स्वरूप पार्क पर किकेट नर्सरी चलाने पर प्रथम पक्ष के क्रीड़ा विभाग में प्रति माह रू0 11713.00 (रू0 ग्यारह हजार सात सौ तेरह मात्र) किराए के रूप में जमा करना होगा। यह धन राशि एक वर्ष हेतु एकमुश्त रूपया 1,40,556.00 (रू0 एक लाख चालीस हजार पॉच सौ छप्पन मात्र) जमा करने होगें तथा पूर्व वर्ष के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से किकेट नर्सरी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा एवं कार्यकारिणी की अनुमति पर दूसरे वर्ष के संतोषजनक कार्य पर तीसरे वर्ष किकेट नर्सरी को चलाये जाने पर भी 10 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।

ह0...........महापौर

5. द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु रू0 25,000/– (रुपया पचीस हजार मात्र) की धनराशि प्रतिभूति स्वरूप प्रथम पक्ष के कोष में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा जिसकी वापसी क्रिकेट नर्सरी के संतोषजनक संचालन के पश्चात् प्रथम पक्ष के सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा कार्यकुशलता प्रमाण पत्र पर वापस होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को पालिका स्टेडियम पर क्रिकेट नर्सरी चलाने हेतु क्रिकेट नेट प्रातः व सायं काल सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक द्वारा शर्तो के अधीन तैयार कर उपलब्ध कराए जायेगें।
7. यह कि प्रथम पक्ष के पार्षदों, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय समय पर दी जायेगी।
8. यह कि द्वितीय पक्ष क्रिकेट नर्सरी को सुचार रूप से संचालित करने के लिये नेट, बॉल, स्टम्प इत्यादि स्वयं अपने स्तर से तथा द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीर्ण विकास तथा क्रिकेट खेलने के उन्न्यन एवं संबर्द्धन करने हेतु, सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेगे।
9. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा पालिका स्टेडियम तथा क्रिकेट खेल से सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओं को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के नगर निगम कानपुर पालिका स्टेडियम क्रीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा, और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यो में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
11. यह कि क्रिकेट नर्सरी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रथम पक्ष के पालिका स्टेडियम के अन्दर नही किया जायेगा।
12. यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
13. यह कि उपरोक्त शर्तो का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि रू0 25,000/–(रुपया पचीस हजार)मात्र को जब्त कर अनुबंध निरस्त कर दे।
14. यह कि उपरोक्त शर्त्तो से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा, और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।
15. नगर निगम कानपुर की मा0 कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित क्रिकेट प्रशिक्षण शुल्क ही खिलाड़ियो से प्राप्त किया जायेगा।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि कानुपर महानगर में नगर निगम के दो स्टेडियम है, बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम व किदवई नगर स्थित रतनलाल शर्मा स्टेडियम लेकिन क्रिक्रेट प्रशिक्षण के लिये सिर्फ एक ही स्टेडियम पर विचार किया जा रहा है, जबकि रतनलाल शर्मा स्टेडियम

ह0..........महापौर

में भी बच्चों को क्रिक्रेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ऐसे में एक ही स्टेडियम के संचालन में विचार किये जाने में संदिग्धता प्रतीत होती है। यदि विचार किया जाये तो दोनो पर किया जाये, नही तो इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाये।

सभापति ने कहा कि यदि रतनलाल शर्मा स्टेडियम में भी किसी संस्था द्वारा बच्चों को क्रिक्रेट प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव दिया जाता है तो भविष्य में उस पर भी विचार किया जायेगा।

.... **श्री शशिकान्त खाण्डेकर को पालिका स्टेडियम पर क्रिक्रेट नर्सरी के नाम से नगर निगम शर्तो के अधीन एक वर्ष के लिये क्रिक्रेट नर्सरी चलाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

नगर आयुक्त द्वारा कार्यसूची में अंकित प्रस्ताव संख्या–02 पर ज्यो ही विचार–विमर्श करने के लिये समिति के सदस्यों से अनुरोध किया गया तत्समय ही पूर्वान्ह 11:35 बजे समिति कक्ष के बाहर कतिपय पार्षदों द्वारा शोरगुल व हंगामें के कारण सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही स्थगित कर दी गई साथ ही नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि भविष्य में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत आहूत बैठकों से पूर्व समुचित पुलिस व्यवस्था कर ली जाये तभी बैठक बुलाई जाये।

ह0............

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर / सभापति